मत्स्य विकास की योजनाएँ

मत्स्य निदेशालय,

ऑफिसर्स हॉस्टल, बेली रोड, पटना

अनुक्रमणिका

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अनुदानित दर पर मत्स्य अंगूलिकाओं के उत्पादन एवं वितरण की योजना	1–2
2.	मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण	2–3
3.	आर्द्र जलक्षेत्र के विकास	3–4
4.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन योजना	4–6
5.	अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के लिए नर्सरी तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट के अधिष्ठापन की योजना	6–7
6.	सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना	8
7.	अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण की योजना	8
8.	राज्य में एन.एफ.डी.बी की वित्तीय सहायता से स्वीकृत योजनाऐ	9–10

बिहार सरकार

श्री वैद्यनाथ सहनी,
मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार , पटना

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। खेती हमारे जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों से जीविकोपार्जन करती है। राज्य को असीम जल संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। जिसमें मत्स्य पालन की अपार संभावनाऐं है। मत्स्य निदेशालय द्वारा कृषि रोड मैप के अनुरूप विभिन्न योजनाऐं मत्स्य विकास हेतु चलाई जा रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मत्स्य विकास की कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख योजनाओं में अनुदानित दर पर उन्नत नश्ल की मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन एवं वितरण , राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रोटीन मिशन के तहत नए तालाबों के निर्माण, मत्स्यबीज हैचरी का निर्माण तथा ट्यूबेल एवं पम्पसेट पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की योजना कार्यान्वित है। मुख्यमुंत्री मत्स्य विकास परियोजनाअन्तर्गत आद्र भूमि विकास हेतु 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान की योजना कार्यान्वित है। राज्य के मत्स्य पालकों को शतप्रतिशत अनुदान से राज्य के बाहर, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में तथा जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित जनजाति के मत्स्यपालकों को भी जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजातियों के व्यक्तियों के लिए नर्सरी तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट को 90 प्रतिशत अनुदान से अधिष्ठापन की योजना है। राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को शतप्रतिशत अनुदान पर दूर्घटनाबीमा योजना कार्यान्वित है। गंगा तथा गंडक नदी में शिकारमाही कर रहे मछुआरों के लिए राहत-सह-बचत योजना भी प्रस्तावित है। एनएफडीबी, हैदराबाद के सहयोग से भी मत्स्य विकास की कई योजनाऐं कार्यान्वित की जा रही है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत राज्य को मत्स्य उत्पादन में न केवल आत्म निर्भर बल्कि सरपल्स राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृषि रोड मैप के अनुरूप राज्य मत्स्य उत्पादन में उतरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर नीली क्रांति की ओर अग्रसर होगा।

25.03.15

(वैद्यनाथ सहनी)

<u>1.</u> अनुदानित दर पर मत्स्य अंगूलिकाओं के उत्पादन एवं वितरण की योजना –

तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार इकाई अन्तर्गत राज्य के सभी मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन एवं वितरण हेतु कुल ₹ 850.00 लाख (आठ करोड़ पचास लाख) की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं राशि को आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालकों को उन्नत नश्ल के बीज (अंगुलिकाओं) के संचयन हेतु प्रेरित करना भी है। इस योजनान्तर्गत 850 लाख अंगुलिकाएँ मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा तैयार की जाएँगी। इससे 5 हजार अंगुलिका/प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 17000 हेक्टर जलक्षेत्र में संचयन हेतु अंगुलिकायें उपलब्ध होंगी। निजी क्षेत्र में मत्स्य पालकों को एवं मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेंगी। मेजर कार्प तथा विदेशी कार्प जैसे रोहु, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प तथा कॉमन कार्प मछलियों की अंगुलिका का वितरण किया जायेगा। मत्स्यबीज उत्पादक द्वारा 10 से 15 ग्ग्रम की अंगुलिका ₹ 2.00 प्रति पीस की दर से बिक्री करेंगे। कुल कीमत की आधी राशि मत्स्य पालक द्वारा वहन किया जायेगा। शेष आधि राशि अनुदान स्वरूप मत्स्य बीज उत्पादक को दी जायेगी। योजना केवल तालाब (POND) में 10 से 15 ग्राम के कार्प मछली के अंगुलिकाओं को संचयन के लिए है। इस योजनान्तर्गत निजी मत्स्य पालकों तथा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों को 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर मत्स्य अंगुलिकाओं की आपूर्ति की जाएगी। मत्स्य बीज उत्पादक कम से कम 10–15 ग्ग्रम तक के अंगूलिकाओं का अपने नर्सरियों में रियर (rear) करेंगे। प्रत्येक मत्स्य बीज उत्पादक को अधिकतम एक हेक्टेयर जलक्षेत्र में ही मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन हेतु चयन किया जाएगा। मत्स्य बीज उत्पादक एक हे0 जलक्षेत्र से अधिकतम 1.25 लाख मत्स्य अंगुलिकाएँ (10 से 15 ग्राम वजन का) ही अपने नर्सरी/रियरिंग तालाब से प्रति फसल उत्पादन एवं वितरण करेंगे । जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने स्तर से मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा उनके नर्सरी तालाब में संचित अंगुलिकाओं सुनिश्चित करेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकरी द्वारा मांग पत्र इसी आधार पर निर्गत होगा। तत्पश्चात ही किसानों को जिला मत्स्य पदाधिकारी के निदेश पर अंगुलिका बेचेंगे। एक हेक्टेयर जलक्षेत्र वाले तालाबों में संचयन के लिए 5000 मत्स्य अंगुलिकाओं की आवश्यकता होती है। एक मत्स्यपालक/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के एक सदस्य को अधिकतम एक हेक्टयर (ग्रुप में अधिकतम दो हेक्टेयर में) जलक्षेत्र में अंगुलिकाओं को संचयन करने हेतु ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे की अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को इस योजना अन्तर्गत लाभान्वित

किया जा सके। मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा अंगुलिकाओं की आपूर्ति मत्स्य कृषकों को जिला मत्स्य पदाधिकारी के प्रतिनिधि के समक्ष किया जाएगा। जिलों में अब तक 309.08 लाख अंगूलिकाओं का वितरण कर 6181.6 हेक्टेयर जलक्षेत्र को अच्छादित किया गया है।

2. मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण

(क) राज्य से बाहर मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण :– योजना का उद्देश्य राज्य के मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना है। राज्य के 2240 मत्स्य कृषकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विभिन्न मात्स्यिकी संस्थानों एवं मात्स्यिकी महाविद्यालयों में राज्य से बाहर प्रशिक्षण की योजना है। केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के काकीनाडा, साल्टलेक कोलकाता, तथा पावरखेड़ा मध्य प्रदेश केन्द्र पर, तथा केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, एवं कॉलेज ऑफ फिशरीज, पंतनगर, उत्तराखंड और केन्द्रीय मीठाजल जीवपालन अनुसंधान संस्थान, उड़ीसा के कौशल्यागंगा में प्रशिक्षण दिया जायेगा। विभिन्न जिलों के मुख्यालय से राज्य से बाहर के प्रशिक्षण संस्थान जाने–आने हेतु मत्स्य पालकों को काकीनाड़ा के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणर्थी को ₹400 तथा अन्य स्थानों के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणर्थी को ₹200 मार्ग व्यय दिया जाता है। काकीनाडा बैच के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने निबंधन हेतु ₹250/– एवं अन्य केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ₹100 जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कराकर निबंधन कराऐंगे। अभी तक 189 मत्स्य पालकों को राज्य से बाहर प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, मीठापुर, पटना में मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण :– इस प्रशिक्षण केन्द्र में 40 प्रशिक्षणार्थियों के कुल 36 बैच में 1440 मत्स्य कृषको को छः दिवसीय मत्स्य प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मत्स्य प्रशिक्षणार्थियों को जिला मुख्यालय से मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र मीठापुर, पटना तक आने तथा वापसी का रेल मार्ग द्वारा शयनयान श्रेणी के निर्धारित राशि एवं बिहार राज्य परिवहन निगम के द्वारा निर्धारित बस भाड़ा का भुगतान मत्स्य कृषक द्वारा टिकट प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। बस भाड़ा जिला मुख्यालय से निकटम रेलव स्टेशन तक का देय होगा।

(ग) जिला स्तर पर मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण :– राज्य के 8880 मत्स्य पालकों को दस दिवसीय प्रशिक्षण जिला स्तर पर उपलब्ध कराना है। इस योजना में राज्य के सभी जिला शामिल होंगे। प्रति प्रशिक्षणार्थी को ₹125.00 प्रति दिन के दर से ₹1250.00 मानदेय

अनुमान्य होगा। प्रति प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल तक आने जाने का यात्रा व्यय वास्तविक किराया अथवा अधिकतम ₹500 देय होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को देय मानदेय तथा यात्रा व्यय चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। अभी तक 1799 मत्स्य पालकों को जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है।

प्रशिक्षणार्थियों का चयन :–

इच्छुक मत्स्य पालक जो निजी/पटट्ा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हों अथवा मत्स्य पालन करना चाहते हों तथा बैंक ऋण/स्वलागत से तालाब निर्माण/हैचरी/फिस फिड मिल के अधिष्ठापन आदि हेतु आवेदन समर्पित किये गये आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आवेदक अपना भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/पटट्ा संलग्न कर संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करेंगे। जिले के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, वैसे मत्स्य पालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित समग्र मत्स्य विकास परियोजना/मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना/आर0के0भी0वाई0/प्रोटीन मिशन योजनान्तर्गत बैंक ऋण अथवा स्वलागत वित्त पोषित हेतु आवेदन समर्पित किये हो/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य/सदस्या हो तथा पटट्े पर सरकारी तालाब में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हो। शेष लाभूकों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(घ़) कांफरेन्स, कार्यशाला, सेमिनार –

नवीनतम मत्स्य पालन तकनीक तथा मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित मत्स्य विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु राज्य स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार तथा विशेष मछुआरा दिवस समारोह आदि का आयोजन किया जाएगा। प्रमंडल स्तर एवं जिला स्तर पर भी सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन करने की योजना है।

3. आर्द्र जलक्षेत्र के विकास –

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत आर्द्र जलक्षेत्र के विकास हेतु कुल ₹1700.00 लाख (सतरह करोड़) की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य में आर्द्र भूमि 9.41 लाख हेक्टेयर से अधिक है। आर्द्र भूमि में केवल एक फसल ही हो पाता है। इन आर्द्र भूमि को तालाब के रूप में परिवर्तित कर राज्य के कृषकों को मत्स्य पालन के लिए प्रेरित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य कृषकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। प्रस्तावित योजना के सफल कार्यान्वयन से मत्स्य पालकों द्वारा अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा

सकेगा। इससे मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि होगी। योजना का कार्यान्वयन निजी आर्द्र जलक्षेत्रों में किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत निजी मन, चौर, टाल, ढ़ाब आदि आर्द्र भूमि का विकास किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत में 2'6'' (ढ़ाई फीट) मिट्टी यांत्रिक संसाधन से कटाई कर तालाब का निर्माण किया जायेगा। एक हेक्टेयर के तालाब निर्माण की इकाई लागत ₹388000 (₹ तीन लाख अठासी हजार) मात्र होगी तथा इसका 50 प्रतिशत ₹1.94 लाख (एक लाख चौरानवे हजार रूपये) अनुदान देय होगा। बैंक ऋण अथवा स्वलागत से लाभुकों द्वारा तालाब का निर्माण होने पर भी अनुदान की अनुमान्यता होगी। राज्य में एक किसान या किसानों के समूह द्वारा आर्द्र जलक्षेत्र में अन्य किसानों से पट्टे पर जमीन लेकर मछली पालन का कार्य कर रहे है, ऐसे किसान या किसानों के समूह को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजानाअन्तर्गत सर्शत अनुमान्यता होगी। योजनान्तर्गत कुल 876.28 हे0 आर्द्र जलक्षेत्र को विकसित करने का लक्ष्य है।

लाभुकों का चयन :– आवेदक, आवेदन के साथ अपना फोटो, तालाब के जलक्षेत्र का विवरण, भूमिस्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा की प्रति/तालाब का फोटो तथा स्वहस्ताक्षरित फोटो पहचान पत्र संलग्न कर जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के यहॉ समर्पित करेंगे। स्वलागत से योजना के कार्यान्वयन होने पर अनुदान का मत्स्य पालक विकास अभिकरण के प्रबंध समिति के अनुमोदनोंपरान्त भुगतान लाभूकों को किया जाएगा। बैठक आहुत करने में अथवा कोरम पूरा नहीं होने के स्थिति में प्रबंध समिति के अनुमोदन के प्रत्याशा में जिला पदाधिकारी का अनुमोदन लेकर अनुदान का भुगतान किया जा सकेगा। इस योजना का लाभ प्रथम बार प्रति व्यक्ति/परिवार को केवल पॉच हेक्टेयर जलक्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन योजना–

योजनान्तर्गत मत्स्य बीज हैचरी, नये तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन के लिए कुल ₹ 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़ रूपए) की योजना कार्यान्वित है।

(क) निजी सहभागिता से मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण –

कृषि रोड मैप में हैचरी का निर्माण अनुदानित दर पर किया जाना है। हैचरी की इकाई लागत ₹ 15.00 लाख निर्धारित है जिसका 50 प्रतिशत यानि ₹ 7.50 लाख अनुदान के रूप में तथा शेष राशि स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से लाभुकों द्वारा वहन किया जाएगा। यह सुविधा one-time होगी। न्यूनतम 8–10 मिलियन फ्राई वार्षिक उत्पादन क्षमता के

लिए मत्स्य बीज हैचरी, तीन एकड़ भूमि में निर्मित होगी। इस योजना अन्तर्गत 40 नये मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण का लक्ष्य है। विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों पर भी पीपीपी मोड से मत्स्य बीज हैचरी निर्माण करने वाले को 50 % अनुदान की अनुमान्यता होगी।

(ख) नये तालाब का निर्माण–

निजी क्षेत्र में नए तालाब का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में 5'(पाँच फीट) मिट्टी यांत्रिक संसाधन से कटाई कर तालाब का निर्माण किया जायेगा। एक हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाब निर्माण की निर्धारित लागत ₹ 697200 (छः लाख सन्तानवे हजार दो सौ रूपये मात्र) है तथा इसका 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। ऋण अथवा स्वलागत से लाभुकों द्वारा तालाब का निर्माण होने पर अनुदान देय होगा। चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 93.23 हैक्टेयर में एवं राष्ट्रीय प्रोटीन मिशन योजनान्तर्गत 143.430 हैक्टेयर में नये तालाब निर्माण की योजना स्वीकृत है।

(ग) <u>ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना</u> :–

पूर्व से निर्मित सरकारी/ निजी तालाब, नव निर्मित तालाब अथवा जीर्णोद्धार होने वाले तालाबों के बांध पर 1000 अद्द ट्यूबवेल तथा 1000 अद्द पम्प सेट (5एच0पी0) अधिष्ठापित किया जायेगा। तालाब का न्यूनतम जलक्षेत्र एक एकड़ होगा। प्रति ट्यूबवेल का इकाई लागत ₹50 हजार की दर से एक हजार अद्द ट्यूबवेल के अधिष्ठापन पर ₹500 लाख के वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत अर्थात ₹250 लाख अनुदान स्वरूप व्यय होगा। शेष 50 प्रतिशत राशि लाभूक अंशदान के रूप में स्वयं अथवा बैंक ऋण द्वारा वहन करेंगे। ट्यूबवेल के साथ पम्प सेट लगाने की भी योजना है। 5 एच0पी0 के प्रति पम्प सेट का इकाई लागत ₹25 हजार की दर से एक हजार अद्द पम्प सेट के अधिष्ठापन पर ₹250 लाख के वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत अर्थात ₹125 लाख अनुदान स्वरूप व्यय होगा। शेष 50 प्रतिशत राशि लाभूक अंशदान के रूप में स्वयं अथवा बैंक ऋण द्वारा वहन करेंगे। पम्प सेट न्यूनतम 5एच0पी0 क्षमता का होगा। बिजली से चालित पम्प सेट पर भी अनुदान देय होगा।

<u>लाभुकों का चयन</u>

आवेदक, आवेदन के साथ अपना फोटो, तालाब के जलक्षेत्र का विवरण, भूमिस्वामित्व प्रमाण पत्र/पट्टा की प्रति/तालाब का फोटो तथा स्वहस्ताक्षरित फोटो पहचान पत्र संलग्न कर अपने

जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। लाभुक को टयूबवेल तथा पम्पसेट दोनों का लाभ देय होगा अथवा दोनो में से एक की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर दूसरे की सुविधा दी जा सकेगी। स्वलागत से योजना के कार्यान्वयन होने पर अनुदान, मत्स्य पालक विकास अभिकरण के प्रबंधकारणी समिति द्वारा अथवा समिति की बैठक नहीं होने पर जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

5. **अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के लिए नर्सरी तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन–**

अनुसूचित जाति/जनजातियों के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन हेतु कुल ₹ 1472.59 लाख (चौदह करोड़ बहत्तर लाख उनसठ हजार) की योजना की स्वीकृति हुयी है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के लिए विशेष सहायता योजना के माध्यम से नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन किया जाना है।

(क) अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के लिए नर्सरी का निर्माण

अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर 362 एकड़ जलक्षेत्र में नर्सरी तालाब का निर्माण तथा 724 ट्यूबवेल एवं 724 पम्प सेट (5 एच0पी0) अधिष्ठापन किया जायेगा ताकि अनुसूचित जातियों के व्यक्ति मत्स्य पालन की ओर प्रेरित हों तथा राज्य के मत्स्य उत्पादन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। नर्सरी तालाब का निर्माण लाभूक द्वारा स्वयं किया जायेगा। तालाब का निर्माण ट्रैक्टर अथवा मशीन द्वारा किया जाएगा। 50 डिसमिल जमीन में तालाब निर्माण में 1.51 लाख रूपये खर्च का मूल्यांकन किया गया है। अधिकतम 50 डिसिमल जलक्षेत्र का नर्सरी तालाब का निर्माण किये जाने पर अनुदान देय होगा। तालाब की गहराई जमीन तल से औसतन 5 फीट एवं ढ़ाल 1:1.5 होगी। खुदाई से प्राप्त मिट्टी की अधिकांश मात्रा तालाब के बाँध के निर्माण हेतु उपयोग किया जायेगा। अनुदान राशि दो किश्तो में देय होगी। प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त में 60 प्रतिशत राशि देय होगी। प्रथम किश्त की राशि देने के पूर्व लाभूक से नर्सरी तालाब निर्माण का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा। शपथ पत्र में यह उल्लेख होगा कि लाभूक द्वारा तालाब निर्माण

नहीं करने पर उनके विरूद्ध सूद सहित राशि वसूली हेतु नीलामवाद दायर किया जायेगा। 50 डिसमिल कुल रकवा के नर्सरी तालाब में स्पॉन सवंर्धन/ मत्स्य पालन से लगभग प्रतिवर्ष 30 से 40 हजार रू0 का शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकेगा। राज्य में नर्सरी तालाब की संख्या कम है। इस योजना की राशि से अनुसूचित जाति के मत्स्य कृषकों के 288.5 एकड़ जलक्षेत्र में नया नर्सरी तालाब तथा अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों के लिए 73.5 एकड़ नर्सरी तालाब का निर्माण किया जा सकेगा। इस योजना के कार्यान्वयन से शुद्ध फ्राई/ फिंगरलिंग मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा मत्स्य उत्पादन में भी बढोतरी होगी।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के तालाबों पर ट्यूबवेल पम्प सेट तथा पम्प सेट का अधिष्ठापन :–

योजना का उद्देश्य मत्स्य पालकों के तालाबों में सालों भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। योजनान्तर्गत मत्स्य पालकों के नव निर्मित तालाबों के बांध पर ट्यूबवेल तथा पम्प सेट (5 एच0पी0) का अधिष्ठापन किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के तालाबों पर क्रमशः 577 ट्यूबवेल एवं पम्प सेट तथा 147 ट्यूबवेल तथा पम्प सेट का अधिष्ठापन किया जायेगा। प्रति ट्यूबवेल तथा पम्प सेट का लागत इकाई क्रमशः 50 हजार एवं 25 हजार रू0 होगा। जिस पर 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष 10 प्रतिशत राशि लाभूक अंशदान के रूप में स्वंय अथवा बैंक ऋण द्वारा किया जायेगा। ट्यूबवेल/ पम्प सेट अधिष्ठापन हेतु न्युनतम 0.4 एकड़ तालाब का रकबा होगा तथा पम्प सेट न्युनतम क्षमता का होगा।

<u>लाभुकों का चयन</u>

योजनान्तर्गत लाभुकों को चयन मत्स्य निदेशालय/ जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित होने के उपरांत जाति एवं आय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों को ही इस योजनान्तर्गत चयन किया जाएगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर बी0पी0एल0 के अंको के आधार पर निर्धनतम व्यक्ति को प्राथमिकता देकर चयन परिक्षेत्र स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदन के साथ जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना–

योजनान्तर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के 300000 (तीन लाख) सक्रिय सदस्यों का एक वर्ष के लिए सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत कवरेज हेतु 50 प्रतिशत अंशदान की कुल ₹ 30.405 लाख (तीस लाख चालीस हजार पॉच सौ रू0 मात्र) के प्रीमियम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग के निदेशक (FE) के F.No.-12012/3/2014-Fy(WU) दिनांक–11.09.2014 द्वारा प्रीमियम की राशि को ₹ 20.27 (बीस रू0 सताईस पैसा) प्रति मछुआरा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित की गयी है। दिनांक–10.07.2014 को विशेष मछुआरा दिवस समारोह में बीमित मछुआरों की संख्या को 300000 (तीन लाख) करने की घोषणा की गई है। इसके आलोक में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के 300000 (तीन लाख) सक्रिय सदस्यों के लिए, सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा अगले एक वर्ष के लिए कार्यन्वयन एवं राज्य सरकार के अंशदान की 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रूप में कुल ₹30.405 लाख (तीस लाख चालीस हजार पॉच सौ रू0 मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लाभुकों को बीमा कवरेज का लाभ कम्पनी को राशि उपलब्ध कराने के तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा। भारत सरकार द्वारा अपने अंशदान की 50 प्रतिशत राशि सीधे फिस्कोफेड, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कंपनी को उपलब्ध करा दी जाती है। प्रीमियम के रूप में लाभुकों से कोई राशि नहीं ली जाती है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य की किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई रूप से अपंगता की स्थिति में उनके आश्रित कों ₹200000 (दो लाख) एवं स्थाई आंशिक अपंगता होने पर ₹100000 (एक लाख) की राशि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने पर ₹10000 (दस हजार) तक के व्यय की अनुमान्यता होगी। प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम ₹20.27 (बीस रू0 सताईस पैसा) है, जिसका आधा–आधा व्यय भार क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 10 बीमा दावे का प्रेषण किया गया है जिसमें से 5 लाभूकों के आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

7. अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण की योजना–

कुल 1650 अनुसूचित जनजाति के मत्स्यपालकों को 34.375 लाख की लागत से प्रशिक्षण की योजना है। अभी तक कुल 450 मत्स्य पालकों को योजनाअन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

8. राज्य में एन.एफ.डी.बी की वित्तीय सहायता से स्वीकृत योजनाएँ–

(क) **मोपेड तथा आईसबॉक्स की योजना** :

राज्य में दस हजार मोपेड आइस बॉक्स के साथ 25 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचि जाति/जनजाति के लिए अनुदान की अनुमान्यता 30 प्रतिशत होगी।

(2) प्रशिक्षण :

I. मोतिहारी जिले के 51 मत्स्य कृषकों को एक पदाधिकारी के साथ आंध्र प्रदेश के विभिन्न मत्स्य संस्थाओं के भ्रमण हेतु कुल ₹ 3.33920/– लाख (तीन लाख तैंतीस हजार नौ सौ बीस रूपए मात्र) की स्वीकृत प्राप्त हुई। कृषकों द्वारा दस दिनों में आंध्र प्रदेश के विभिन्न मत्स्य संस्थानों का परिभ्रमण कर तकनीकी जानकारियाँ प्राप्त कर अपनी प्रवीणता का विकास किया गया।

II. समस्तीपुर जिले के 50 मत्स्य कृषक एवं एक पदाधिकारी के लिए भी मोतिहारी जिले के परिभ्रमण की तरह ही 10 दिनों के आंध्र प्रदेश भ्रमण के लिए कुल ₹ 3.2287/– लाख की राशि स्वीकृत की गयी।

III. आर्द्र जल भूमि के विकास के लिए 400 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण हेतु एन.एफ.डी.बी द्वारा कुल ₹ 7.43/– लाख (सात लाख तैतालीस हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी) यह प्रशिक्षण 25 मत्स्य कृषकों के एक बैच को पॉच दिनों के लिए देय है।

IV. 50 महिला मत्स्य कृषक को अलंकारी मछली मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण के लिए कुल ₹ 2.0225/– लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह प्रशिक्षण आई.सी.ए.आर. के पटना स्थित संस्थान में आयोजित किया गया।

(3) बेलबनवा, मोतिहारी, पू0 चंपारण में थोक मछली बाजार के निर्माण हेतु एन.एफ.डी.बी. द्वारा ₹ 100/– लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(4) फिश फिड मील एवं समेकित अलंकारी मछली हैचरी के लिए श्री कमलेश्वर सिंह पिता श्री रणवीर सिंह, कौरपुर पो0–पिपराकोठी पूर्वी चम्पारण बिहार को प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹85/– लाख के विरूद्ध कुल ₹34/– लाख के अनुदान के राशि स्वीकृत की गई है।

(5) एन.एफ.डी.बी. की सहायता से आर्द्र जल भूमि में पेन मत्स्य पालन की योजना राज्य के 12 जिलों में लागू करने हेतु एवं सोनमार चौर शहजादापुर में मत्स्य पालन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा उपलब्ध करने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(6) श्री कमलेश्वर सिंह पिता श्री रणवीर सिंह, कौरपुर पो0–पिपराकोठी पूर्वी चम्पारण बिहार को ब्लू–रिवोल्यूशन योजना के तहत 10 हे0 में नये तलाब निर्माण एवं अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। उनके द्वारा के.बि.के, पिपराकोठी, पूर्वी चंपारण के माध्यम से योजना एन.एफ.डी.बी को प्रेषित की गई थी। कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹50.68/– लाख के विरूद्ध एन.एफ.डी.बी.द्वारा ₹ 20.272/– लाख अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्ष 2015–16 के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाऍं–

1. अनुदानित दर पर मत्स्य अंगूलिकाओं के उत्पादन एवं वितरण की योजना
2. मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण
3. आर्द्र जलक्षेत्र के विकास
4. नए तालाबों का निर्माण
5. मत्स्य हैचरी का निर्माण
6. ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन
7. अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्य पालकों के लिए नर्सरी तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन
8. सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना
9. मत्स्यपालकों के पुरस्कार की योजना
10. मछुआ आवास योजना
11. राहत–सह–बचत योजना